(वाद संख्या–7345/18)

01.07.2020

परिवादी, जहांगीर आलम, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा पूर्णिया जिलान्तर्गत मौजा–कोहवरा, थाना–कृत्यानन्द नगर स्थित परिवादी के कुल 08डी0 जमीन में से 05डी0 जमीन पर मो0 इब्राहिम वगैरह द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर कृत्यानन्द नगर थानान्तर्गत चंपानगर ओ0पी0 प्रभारी के सहयोग से अनधिकृत रूप से संरचना खड़ी करने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि प्रतिवादीगण वासगीत पर्चा तथा एक मो0रियाजुद्दीन द्वारा विक्रय विलेख के आधार पर उपरोक्त विवादित 05डी जमीन पर दखल–कब्जा किये हुए है, जिस पर उनलोगों ने मकान का निर्माण भी कर रखा है। परिवादी की ओर से उक्त विवादित वासगीत पर्चा तथा विक्रय–विलेख को रद्द करने हेतु मुंसिफ, पूर्णियाँ के न्यायालय में एक स्वत्व वाद संख्या–106/98 दाखिल किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में एक पक्षीय डिक्री प्रदान की गयी। बाद में प्रतिवादीगण के प्रार्थना पर विविध वाद संख्या 27/2006 के अन्तर्गत दिनांक–11.08.2004 को पारित आदेश द्वारा उक्त एक पक्षीय आदेश को अपास्त करते हुए स्वत्व वाद संख्या–106/98 को पुर्नजीवित किया गया तथा **प्रतिवादीगण को वाद सम्पति की यथा पूर्व स्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया गया।** वर्तमान में स्वत्ववाद संख्या–106/98 मुंसिफ, पूर्णिया के न्यायालय में निष्पादनार्थ लंबित है। परिवादी का कथन है कि उपरोक्त न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद भी प्रतिवादीगण वाद सम्पति के भौतिक स्वरूप में परिवर्त्तन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक, पूर्णियां द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनु0 पुलिस पदाधिकारी, सदर, पूर्णियां द्वारा स्थल जांचोपरान्त व तीन नामित ग्रामीणों, मो0 जियाउल रहमान, मो0 इदरिश व मो0 तसलीम द्वारा सूचनानुसार पाया गया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद सम्पति पर पूर्व से मकान बनाया गया था तथा उनके द्वारा चम्पानगर थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में उक्त मकान को तोड़कर नयी संरचना खड़ी करने की पुष्टि नहीं हो पायी इस पर परिवादी का कथन है कि पुलिस अधीक्षक, पूर्णियां द्वारा अपने प्रतिवेदन में जिन तीन साक्षियों का उल्लेख किया गया है, वे तीनों, प्रतिवादी के भाई व बहनोई है। परिवादी का यह भी कथन है कि अनु0 पुलिस पदाधिकारी, सदर

पूर्णियां द्वारा मात्र प्रतिवादी के रिश्तेदारों से पूछताक्ष कर बालाबाला मिथ्या प्रतिवेदन आयोग के समक्ष समर्पित कर दिया गया है।

परिवादी को सुनने तथा पुलिस प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि प्रसंगाधीन मामले में वाद सम्पत्ति का स्वत्व विवादित है अब, जबकि प्रसंगाधीन मामला में स्वत्व का प्रश्न एक सक्षम न्यायालय के समक्ष में विचाराधीन है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर उपरोक्त प्रसंगाधीन मामले में कोई निर्देश व आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। **परिवादी को सलाह दी जाती है कि संबंधित न्यायालय में यथा पूर्व स्थिति के उल्लंघन से संबंधित तथ्य को विधिनुसार उठाकर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।**

उपरोक्त के आलोक में आयोग के स्तर से इस मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक